कार्यालय निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या–4डी(1) / मृ0आ0 / क0स0 / 28 / 2023 / लखनऊः दिनांकः 02 / 01 / 2024

// कार्यालय ज्ञाप //

स्व0 डा0 वीरेन्द्र कुमार सोनकर, चिकित्साधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भिटौरा अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी फतेहपुर की मृत्यु **दिनांक 16.01.2023** को सेवाकाल में हो जाने के फलस्वरूप उनकी आश्रित पत्नी श्रीमती सुषमा दयाल, पोस्ट एवं ग्राम राही, जिला रायबरेली, (उ0प्र0), की नियुक्ति मृतक आश्रित के रूप में मृतक आश्रितों की भर्ती सेवा–नियमावली 1974 यथा संशोधित अधिनियम, उ0प्र0 शासन, चिकित्सा अनुभाग–4 के पत्रावली सं0–5– 4099 / 901 / 2022–4– I / 368647 / 2023, दिनांक 14.08.2023 के क्रम में एवं कार्मिक अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–6 / 12 / 73–का–2–2022 / टी0सी0–VI(II)] दिनांक 27.12.2022, द्वारा प्राख्यापित "उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रित की भर्ती (तेहरवां संशोधन) नियमावली 2022" में निहित प्राविधान के अन्तर्गत अनु सचिव, उ0प्र0 शासन, चिकित्सा अनुभाग–4 के पत्र दिनांक 22.11.2023 द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में अपर निदेशक (कार्मिक), अनुभाग–2, स्वास्थ्य भवन लखनऊ के पत्र दिनांक–2फ / 539 / 18 / 1454, दिनांक 11.12.2023 एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, फतेहपुर के पत्रांक मु0चि0अ0 / मृ0आ0 / नियुक्ति / 2023–24 / 3955, दिनांक 20.10.2023 के द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में उपलब्ध कराये गये प्रमाण पत्र तथा अभिलेखों / साक्ष्यों को दृष्टिगत् रखते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी, फतेहपुर के अधीन कनिष्ठ सहायक (परिधिगत् संवर्ग) के रिक्त पद पर वेतन बैण्ड रू0 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन रू0–2000 / –(पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल–3) में, समय–समय पर जारी शासनादेशों में अनुमन्य महंगाई भत्ता व अन्य भत्तों सहित अस्थायी रूप में "उत्तर प्रदेश, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (अधीनस्थ कार्यालय) लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली–1994" के अंतर्गत अधोलिखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती हैः–

1. यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई है और बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय समाप्त की जा सकती है। यह नियुक्ति आदेश जारी होने के एक माह तक वैध होगा तत्पश्चात् स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
2. उक्त पद पर इन्हें राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी शासनादेशों में अनुमन्य महंगाई भत्ता व अन्य भत्ते देय होंगे।
3. यह नियुक्ति योगदान की तिथि से मान्य होगी तथा इस पद पर योगदान हेतु इन्हें कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
4. योगदान करते समय मूल अभिलेखों के साथ व्यक्तिगत् रूप से मुख्य चिकित्सा अधिकारी, फतेहपुर के समक्ष उपस्थिति होकर निम्नलिखित अभिलेखों / साक्ष्यों को परीक्षण हेतु प्रस्तुत करना होगा :–
   - (क) हाईस्कूल / इण्टरमीडिएट व अन्य शैक्षिक योग्यता के उत्तीर्ण अंक पत्र / प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतियां।
   - (ख) अन्तिम शिक्षा जहां से प्राप्त की हो वहाँ के प्रधानाचार्य द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र।
   - (ग) दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र, जो आपको भली–भांति जानते हों किन्तु सम्बन्धी न हों।
   - (घ) मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थ्यता प्रमाण पत्र।
   - (ड़) संविधान के प्रति सत्यनिष्ठा का प्रमाण पत्र।
5. **यह नियुक्ति उ0प्र0 सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों की भर्ती (तेहरवां संशोधन) नियमावली–2022, कार्मिक अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–6 / 12 / 73–का–2–2022 / टी0सी0–VI (II)] दिनांक 27.12.2022 में निहित शर्तों के अधीन कम्प्यूटर प्रचालन और टंकण अनिवार्य अर्हता के रूप में विहित की गयी है और मृत सरकारी सेवक का आश्रित कम्प्यूटर प्रचालन और टंकण में अपेक्षित प्रवीणता नहीं रखता है, तो उसे इस शर्त के अधीन रहते हुए नियुक्ति कर लिया जायेगा कि वह एक वर्ष के भीतर ही कम्प्यूटर प्रचालन में डी0ओ0ई0ए0सी0सी0 सोसासटी द्वारा प्रदत्त सी0सी0सी0 प्रमाण पत्र या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी प्रमाण पत्र के साथ–साथ टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की अपेक्षित गति अर्जित कर लेगा, और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो उसकी सामान्य वार्षिक वेतन–वृद्धि रोक ली जायेगी, और कम्प्यूटर प्रचालन में अपेक्षित प्रमाण–पत्र और टंकण में अपेक्षित गति अर्जित करने के लिए उसे एक वर्ष की अग्रेत्तर अवधि प्रदान की जायेगी, और यदि बढ़ायी गई अवधि में भी वह कम्प्यूटर प्रचालन में अपेक्षित प्रमाण–पत्र और टंकण में अपेक्षित गति अर्जित करने में विफल रहता है, तो उसे चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति प्रदान करने का आदेश जारी किया जाएगा। इस प्रकार प्रदान की गई नियुक्ति प्रतिवर्तन न होकर नई नियुक्ति समझी जाएगी। यदि वह नियत समय के भीतर चतुर्थ श्रेणी के पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसकी सेवायें समाप्त कर दी जायेंगी।**

6. यह नियुक्ति इस प्रतिबन्ध के साथ दी जाती है कि श्रीमती सुषमा दयाल, अपने परिवार के अन्य आश्रितों (यदि कोई हैं) तो उनका भरण–पोषण एवं समुचित देखभाल करती रहेंगी। ऐसा न करने की दशा में इनकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं।
7. मृतक कर्मचारी, पति–पत्नी दोनों केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार अथवा उनके अधीन निगम सेवाओं में कार्यरत नहीं हैं, कार्यरत् की दशा में यह सेवायोजन निष्प्रभावी माना जायेगा।
8. यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि मृतक के परिवार के किसी अन्य सदस्य को मृतक आश्रित का लाभ पूर्व में इस विभाग व अन्य विभाग में तो नहीं दिया गया है।
9. मृत्यु/उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र को मूल प्रमाण पत्रों से सत्यापन कर लिया जायें कि वे सक्षम अधिकारी द्वारा ही निर्गत किये गये हैं। साथ ही साथ वांछित/अनिवार्य शैक्षिक प्रमाण–पत्रों का सत्यापन/पुष्टि करा ली जाये।
10. कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 27.12.2022, में निहित व्यवस्थानुसार एक वर्ष के भीतर श्रीमती सुषमा दयाल, की कम्प्यूटर में हिन्दी टंकण की परीक्षा का आयोजन माह दिसम्बर 2024 के अंतिम कार्यदिवस में महानिदेशालय स्तर पर गठित समिति के समक्ष, अनुदेशक/विषय विशेषज्ञ, राजकीय औद्योगिक संस्थान की देख–रेख में सम्पन्न किया जाना है। उक्त परीक्षा जनपद स्तर पर कदापि आयोजित नहीं की जायेगी, परीक्षा हेतु आदेश पृथक से निर्गत किये जायेगें, जिसकी सूचना नियंत्रक अधिकारी द्वारा टंकण परीक्षा की तिथि से सम्बन्धित कर्मचारी को दी जायेगी।
11. स्थानीय पुलिस के माध्यम से सम्बन्धित अभ्यर्थी का पुलिस सत्यापन करा लिया जाये।
12. यह नियुक्ति पत्र जनपद/मण्डल स्तर के नियंत्रक अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, फतेहपुर द्वारा प्रमाणित एवं अग्रसारित अभिलेखों के आधार पर जारी किया जा रहा है।
13. यदि भविष्य में श्रीमती सुषमा दयाल, द्वारा उपलब्ध कराये गए अभिलेख संदिग्ध/फर्जी/विचलन पाये जाते हैं तो उनकी सेवायें स्वतः समाप्त हो जायेंगी, इसकी जिम्मेदारी अग्रसारण अधिकारी की होगी तथा असत्य प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार श्रीमती सुषमा दयाल, के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
14. श्रीमती सुषमा दयाल, **"उत्तर प्रदेश, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (अधीनस्थ कार्यालय)," लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली–1994,** से आच्छादित रहेगें।

(डा0 राजागणपति आर0)
आई0ए0एस0
निदेशक (प्रशासन)

संख्या–4डी(1)/मृ0आ0/क0स0/28/2023/31-42 तद्दिनांक।

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–</u>

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 प्रयागराज।
2. विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन चिकित्सा अनुभाग–4/8
3. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0।
4. अपर निदेशक (कार्मिक), अनुभाग–2, स्वास्थ्य भवन लखनऊ ।
5. निदेशक (चिकित्सा उपचार), स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड हेतु।
6. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज।
7. संयुक्त निदेशक, (मुख्यालय परिधिगत), स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को निर्देशित किया जाता है कि उक्त तिथि में नियमानुसार परीक्षा का आयोजन अवश्य कराना सुनिश्चित करें।
8. **मुख्य चिकित्सा अधिकारी, फतेहपुर को अनुपालनार्थ एवं इस निर्देश के साथ कि बिन्दु संख्या–04, 06, 07, 08, 09 एवं 11 पर वांछित अभिलेख/आख्या समय–समय पर पूर्ण होने की स्थिति में उसकी एक–एक प्रतिहस्ताक्षरित प्रति विशेष पत्रवाहक के माध्यम से महानिदेशालय की मूल पत्रावली में रक्षित करवायें।**
9. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी फतेहपुर।
10. श्रीमती सुषमा दयाल, पत्नी स्व0 डा0 वीरेन्द्र सोनकर, निवासी–ग्राम व पोस्ट राही, परगना व तहसील सदर रायबरेली, जिला रायबरेली, (उ0प्र0)। **(पंजीकृत डाक द्वारा)**
11. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, रायबरेली को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित अभ्यर्थी का पुलिस सत्यापन कराकर सम्बन्धित को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12. गार्ड फाइल।

02.07.2024

(डा0 रंजना खरे)
अपर निदेशक (मुख्यालय परिधिगत)